राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 116/2025 निगरानी

धीरज कंवर पत्नी बहादुर सिंह राजपूत निवासी मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपड़ा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा –निगराकार	**बनाम**	1. गजराज सिंह पुत्र छगन सिंह राजपूत, निवासी मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपड़ा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत रीठ जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रीठ, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा **–गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 05.01.2021

उपस्थित – श्री संदीप जैन, अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांकः– 6 .05.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2004 को पुश्तैनी मकान का पट्टा दिलाने बाबत् गैर निगराकार संख्या 02 के यहां प्रस्तुत किया जिस पर गैर निगराकार संख्या 02 ने पत्रावली संख्या 70 दिनांक 08.12.2004 कायम कर दिनांक 05.11.2020 को 19 फिट बाई 142 फिट भू–भाग का पट्टा जारी कर दिया, उक्त जारी किया गया पट्टा रास्ते का भू–भाग है और उक्त रास्ते से निगराकार एवं जनसामान्य वर्षों से आवागमन करते चले आ रहे है। इतना ही नहीं उक्त पंचायत द्वारा दिनांक 05.11.2020 को पारित विक्रय आदेश व उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया है, उसमें भारी अनियमितता, अवैधानिकता कारित करने के साथ–साथ, फर्जी एवं कूटरचित तरीके अपनाये गये है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा जो आवेदन पत्र गैर निगराकार संख्या 02 ग्राम पंचायत के यहां दिनांक 08.12.2004 को जो प्रस्तुत किया गया है और उसमें रिक्त स्थानो की जो पूर्ति की गयी है वह वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल द्वारा ही अपनी हस्तलिपी में तथाकथित रूप से की गयी है, जबकि बाबूलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रीठ वर्ष 2004 अर्थात् दिनाक 08.12.2004 को किसी कदर ग्राम पंचायत रीठ पर कार्यरत् नहीं था व है बल्कि बाबूलाल उक्त पद पर सन् 2020 के आसपास पदस्थापित हुआ है, दिनांक 08.12.2004 को ग्राम पंचायत

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रीठ में ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर विनोद कुमार तोषनीवाल कार्यरत् था तो फिर दिनांक 08.12.2004 को उक्त रिक्त पूर्ति बाबुलाल द्वारा किया जाना सर्वथा गलत होकर फर्जी है। इसी तरह जो प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 08.12.2004 को नक्शा आबादी भूमि में पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पंचायत में गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमे सरपंच के तौर पर हस्ताक्षर योगिता शर्मा के किये हुए है व ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल के हस्ताक्षर किये हुए है जबकि निर्विवाद रूप से दिनाक 08.12.2004 को योगिता शर्मा ग्राम पंचायत रीठ की सरपंच पद पर कार्यरत ही नहीं थी बल्कि दिनाक 08.12.2004 को सरपंच पद पर श्रीमती सुगन कंवर पत्नी श्री सज्जन सिंह राणावत कार्यरत थी, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 एवं गैर निगराकार संख्या 02 के सरपंच आदि ने आपसी मिलाभगती कर गंभीर आपराधिक कृत्य कारित कर उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही गलत एवं अवैध तरीके से पूर्ण की है जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया प्रमाणित है। मात्र हाल ही में गैर निगराकार से मिलाभगती कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक ही दिन में सारी ही औपचारिकताये सम्पन्न करा तथाकथित आज्ञा पारित की गयी है जो आपसी मिलाभगती एवं दुरर्भिसन्धि से किया गया आपराधिक षड्यंत्र होकर विधि के तहत प्रारंभ से ही गलत, अवैध, शून्य होकर सम्पूर्ण कार्यवाही काबिल अपास्तगी के है। यहा यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि गैर निगराकार संख्या 01 कत्तई मूल निवासी ग्राम मानसिंह जी का खेडा उर्फ मानसिंह जी का झुपडा का नहीं है बल्कि यह पिछले कुछ वर्षों से ही यहां पर आबाद हुआ है। गैर निगराकार संख्या 01 का मूलतः निवास स्थान सालमपुरा उर्फ तिदूडी, ग्राम पंचायत दौलपुरा, तहसील माण्डलगढ़ का है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 का कोई किसी प्रकार का पुश्तैनी मकान मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपडा में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो फिर गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा इस संबंध में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना ही सर्वथा गलत, मिथ्या एवं बेबुनियाद था व है किन्तु गैर निगराकार संख्या 01 ने जानबुझकर रास्ते की भूमि पर किये गये अवैध अतिचार को जायज ठहराने के दुराशय से गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी से आपसी मिलाभगती एवं सांठगांठ कर तथाकथित पट्टा बिना विधिक औपचारिकताये पूरी किये प्राप्त किया है जो किसी कदर न तो विधि के अनुकुल है और न सामाजिक दृष्टि के ही अनुकुल है और **इस संबंध में निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के बी.पी.एल. सूची सन् 2002 ग्राम सालमपुरा एवं मतदाता सूची वर्ष 2014 ग्राम सालमपुरा एवं मतदाता सूची जिला परिषद निर्वाचन की अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, जिसमें श्री गजराज सिंह एवं गोपाल कंवर को ग्राम सालमपुरा उर्फ तिदूडी, ग्राम पंचायत दौलपुरा, तहसील माण्डलगढ का निवासी दर्शाया गया है, इतना ही नहीं सालमपुरा में ही गजराज सिंह के खातेदारी अधिकार की आराजीयात है, जिसकी जमाबन्दी भी अवलोकनार्थ पेश है।** जिस तथाकथित आवेदन पत्र पर उक्त पत्रावली कायम की गयी है उस वक्त ग्राम पंचायत रीठ के सरपंच पद पर लालाराम कार्यरत नहीं थे तो फिर उनके द्वारा किस प्रकार एवं कैसे दिनांक 08.12.2004 को पत्रावली कायम की जा सकती है बल्कि लालाराम के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षरो से हाल ही में उक्त पत्रावली तैयार की गयी है, इस प्रकार गैर निगराकारान ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उक्त पट्टा प्राप्त किया है

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जो विधि के सर्वथा विपरित होने से काबिल अपास्तगी के है। दिनांक 08.12.2004 को जब गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा तथाकथित रूप से पत्रावली कायम कर दी गयी और उसकी पालना में आवेदन शुल्क 20/– रूपये, मौका नक्शा के 50/– रूपये एवं स्थल निरीक्षण के 50/– रूपये जमा कराये जाना बताया जाता है जबकि पंचायत राज अधिनियम में हुए सशोधन अनुसार उक्त राशि दिनाक 12.08.2011 से ही संशोधित कर तय की गयी है, तो फिर सन् 2004 में उक्त राशि जो कि दिनांक 12.08.2011 से प्रभावी हुई है, के तहत राशि जमा कराना अपने आप उक्त पत्रावली बाद में कायम करने का घोतक है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 व 02 ने आपसी मिलानगती कर पंचायत की बहुमूल्य आराजीयात एवं सस्ते को हड़पने के दूराशय से उक्त सारा ही आपराधिक दुष्कृत्य किया है इसके लिये तत्कालीन सरपंच श्रीमती योगिता शर्मा एवं गैर निगराकार संख्या 01 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सख्त सजा दिलाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत होगा, **दिनांक 12.08.2011 की संशोधित अधिसूचना अवलोकनार्थ पेश है।** जो नजरी नक्शा बनाकर पत्रावली आगामी कौरम में तथाकथित रूप से पेश करने का आदेश पारित किया गया तो फिर दिनांक 08.12.2004 से सीधे ही पत्रावली लगभग 16 वर्षों उपरान्त आकस्मिक रूप से दिनांक 05.10.2020 को कौरम में प्रस्तुत किया जाना उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही को अपने आप में संदेहास्पद एवं संदिग्ध बना सामान्य मन मस्तिष्क में उक्त कार्यवाही को आपसी मिलानगती और दुरर्भिसन्धि से कायम किये जाने की अवधारणा प्रबल कर देता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की उक्त तथाकथित पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.10.2020 में यह अंकित किया गया है कि सचिव ग्राम पंचायत के मकान का नक्शा दिनांक 04.10.2020 को बनाया जो पत्रावली में संलग्न है तथा स्थल निरीक्षण करने हेतु 3 वार्डपच अनिल सेन, संदीप पारीक एवं माधु भील की कमेटी की प्रतिनियुक्ति की जाती है जो 15 दिन में स्थल निरीक्षण कर अपनी राय व्यक्त करे, पत्रावली आगामी कौरम में पेश हो। जबकि जो नक्शा आबादी भूमि में पुश्तैनी मकान का प्रस्तुत किया गया है, उस पर दिनांक 08.12.2004 अंकित है तथा सरपंच के रूप में योगिता शर्मा के हस्ताक्षर है। जबकि दिनांक 08.12.2004 को ग्राम पंचायत रीठ के उक्त व्यक्ति यथा अनिल सेन, संदीप पारीक एवं माधु भील वार्ड पंच के रूप में कार्यरत् नहीं थे और न बाबुलाल ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ही कार्यरत था, न योगिता शर्मा ही सरपंच के रूप में ही कार्यरत थी, इस प्रकार फर्जी नक्शा पुश्तैनी मकान का दर्शाया गया है जबकि मौके पर तत्कालीन समय में कोई मकान ही निर्मित नहीं था। इस प्रकार आदेशिका दिनांक 05.10.2020 में मकान का नक्शा सचिव द्वारा दिनांक 04.10.2020 को बनाये जाने का उल्लेख किया है, जबकि दिनांक 04.10.2020 का कोई नक्शा ही पत्रावली पर नहीं है और न दिनांक 04.10.2020 को कोई नक्शा ही बनाया गया है और न बनाया जा सकता है क्योकि दिनांक 04.10.2020 को रविवार होकर राजकीय अवकाश था तो फिर सचिव द्वारा उक्त दिनांक को नक्शा बनाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, इस प्रकार सर्वथा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से तथाकथित विक्रय आदेश तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है, जो किसी भी कदर वैध एवं जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब पत्रावली ही दिनांक 05.10.2020 को 08.12.2004 के बाद सीधे कौरम में प्रस्तुत किया जाना बताया गया है तो फिर उससे

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पूर्व ही किस प्रकार एवं कैसे नक्शा तैयार किया जा सकता है, जबकि इस संबंध में जब पत्रावली पर नक्शा आबादी भूमि का बताया गया है वह दिनांक 08.12.2004 का बताया गया है, वह भी फर्जी एवं कूटरचित है। इस प्रकार आपसी मिलाभगती कर तथाकथित कार्यवाही गैर निगराकार ने कर आलोच्य पट्टा एवं विक्रय आदेश जारी करने में घोर अवैधानिकता, अनियमितता कारित की है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की उक्त पत्रावली की आदेशिकाये अपने आप उक्त कार्यवाही को गलत, मिथ्या एवं मिलाभगती से तैयार किये जाने का एक जीता जागता अनैतिक तरीके एवं आचरण कर पंचायत भूमि को जबरन हडपने का द्योतक है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की तथाकथित आदेशिका दिनाक 05.10.2020 में तीन वार्डपंचो की प्रतिनियुक्ति की जाना बताया जाता है और आदेशिका दिनांक 20.10.2020 में तीन वार्डपंचो की कमेटी द्वारा दिनांक 15.10.2020 को पुश्तैनी मकान का स्थल निरीक्षण किया जाना बताया जाता है तो फिर तथाकथित आदेशिका दिनांक 05.11.2020 में दिनांक 25.10.2020 को नजरी नक्शा सचिव द्वारा बनाया जाना बताया जाना दिनांक 28.10.2020 को स्थल निरीक्षण हेतु तीन वार्डपंचो की कमेटी प्रतिनियुक्त करना बताया जाना एवं दिनांक 01.11.2020 को तीन वार्डपंचो की कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना बताया जाना पूर्णतयाः विरोधाभासी है अर्थात आदेशिका दिनांक 05.11.2020, 20.10.2020 एवं 05.10.2020 में अंकित तथ्य ही पूर्णतयाः एक दूसरे के विपरित होकर विरोधाभासी है। जो गैर निगराकार संख्या 02 की घोर लापरवाही एवं अनियमितता का परिचायक होकर गैर निगराकार संख्या 01 से मिलाभगती एवं दुरर्भिसन्धि का ही द्योतक ज्यादा लगता है। गैर निगराकार संख्या 02 जो कि अपने आप में एक स्वायत्तशासी लोक कल्याणकारी संस्था/गांवो की सरकार है जिसके द्वारा ही इस प्रकार से गलत, अवैध, अनैतिक दुराचरण एवं अवैधता कारित कर तथाकथित पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गयी है जो एक गंभीर अपराध की परिधि में आता है। इस प्रकार जब एक जिम्मेदार सस्था ही गलत एवं अवैध कार्य करेगी तो फिर सामान्य जनमानुष से क्या आशये एव अपेक्षाये की जा सकती है। गैर निगसकार संख्या 02 का उक्त पत्रावली में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा विधि के विपरित होकर काबिल अपास्तगी के है। दिनांक 05.11.2020 की अधीनस्थ ग्राम पंचायत की उक्त पत्रावली की तथाकथित आदेशिका अपने आप में हास्यास्पद से अधिक कुछ नहीं लगती है क्योकि दिनांक 05.11.2020 की तथाकथित आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि **"दिनांक 20.11.2020 में सीमाज्ञान पटवार हल्का द्वारा सरपंच/ग्राम सेवक/वार्ड पंच की उपस्थिति में किया गया था एवं दिनांक 05.12.2020 को नियम 148 के तहत एक मास की अवधि का आपत्ति पत्र जारी किया जाकर आपत्ति मांगी गयी। जिसमें एक भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः नियम 149 के तहत आपत्तियो का निस्तारण बकाया नहीं है। अतः पत्रावली निर्णय हेतु पेश है।"** जबकि दिनांक 05.11.2020 के बाद निर्विवाद रूप से दिनांक 20.11.2020 एवं 05.12.2020 आती है तो फिर दिनांक 05.11.2020 को ही आगामी तारीखो में मौका निरीक्षण, सीमाज्ञान, आपत्ति नोटिस एवं उसका निस्तारण दिनांक 05.11.2020 को ही किये जाने के संबंध में जो तथ्य अंकित किये गये है वो अपने आप मिथ्या, गलत एवं मिलाभगती का ही एक नमूना मात्र है। जहां तक जिस तथाकथित भू-भाग का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 को दिया गया है वह रास्ते

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

का भू–भाग है और इस संबंध में गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा रास्ते के भू–भाग पर किये गये अवैध अतिचार को हटाने के संबंध में गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा अवैध अतिचार की कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसकी पत्रावली संख्या 01/2019 कायम की गयी जिसका अनवान ज्वाला सिंह बनाम गजराज सिंह है और उक्त कार्यवाही में गैर निगराकार संख्या 01 व उसकी पत्नी श्रीमती गोपाल कंवर, पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह आदि को अवैध अतिक्रमण के संबंध में गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा नोटिस जारी किये गये तथा बाद विधिवत् कार्यवाही दिनांक 20.09.2019 को उक्त व्यक्तियों के साथ–साथ अन्य व्यक्तियो को भी अतिक्रमी मानते हुऐ रास्ते की भूमि से अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खुलासा करने का निर्णय लिया और जिसकी पालना हेतु सक्षम अधिकारी से पुलिस जाब्ता लिया जाकर अतिक्रमण को हटाया (ध्वस्त) किये जाने का आदेश पारित किया तो फिर उक्त रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि को ही पुनः गैर निगराकार संख्या 01 को पुश्तैनी मकान के पट्टे आदि के रूप में दिये जाने का आलौच्य आदेश दिनांक 05.11.2020 को पारित करना सर्वथा गलत एवं अवैध है. ऐसी हालत में पारित आदेश दिनांक 05.11.2020 प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य होने से इसकी पालना में दिया गया पट्टा भी सर्वथा गलत होकर काबिल निरस्तगी के है। यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि अव्वल तो रास्ते की भूमि का कभी भी पट्टा किसी भी कदर विधि के तहत नहीं दिया जा सकता है, इतना ही नहीं गैर निगराकार संख्या 01 का कोई पुश्तैनी मकान ही ग्राम मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपडा में नहीं है, न कभी रहा है तो फिर उक्त तथाकथित पट्टा ही पुश्तैनी मकान का नहीं दिया जा सकता है। निगराकार द्वारा एक वाद अपनी जायदाद के संबंध में विपक्षी गैर निगराकार संख्या 01 एवं उसके परिवारजन के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कोटडी के यहां प्रस्तुत किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 13/2015 कायम हुऐ। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय कोटडी द्वारा दिनांक 12.06.2017 को खारिज करने के उपरान्त उसकी अपील जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की गयी। जिसके प्रकरण सख्या 41/2017 अपील अहकाम कायम होकर उक्त अपील दिनांक 18.07.2020 को स्वीकार की गयी है और माननीय जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 एवं उसके परिवारजन को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर यह आदेश पारित किया गया है कि **"वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीया (निगराकार) को उसके भूखण्ड से जबरन बेदखल ना करे, उसके उपयोग में हस्तक्षेप न करे तथा भूखण्ड के पूर्व और दक्षिण दिशा में स्थित रास्ते में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण व निर्माण करके रास्ते को अवरूद्धित नहीं करे, करावे और ना ही रास्ते के संबध में प्रार्थीया (निगराकार) के हको एवं अधिकारों में कोई अवरोध, दखलअन्दाजी करे तथा प्रार्थीया द्वारा तथाकथित रूप से रास्ते की जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये ग्राम पंचायत विधिनुसार कार्य के लिए स्वतंत्र है।"** उक्त आदेश में ग्राम पंचायत को अवैध अतिक्रमण हटाने के सबंध में सक्षम जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है और उसकी पालना में निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र भी ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 के यहा प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु गैर निगराकार संख्या 02 ने अवैध

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिक्रमण को न हटाकर न्यायालय आदेश की जानबुझकर घोर अवहेलना एवं अवमानना करते हुऐ उक्त अतिक्रमण भू–भाग का ही पट्टा धारा 157 पंचायत राज अधिनियम के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को दे दिया जो एक प्रकार से न्यायालय आदेश की जानबुझकर की गयी अवहेलना हो, अवमानना है, इस हेतु प्रार्थीया अलग से कार्यवाही संस्थित करायेगी किन्तु न्यायालय आपसे ही विनम्र निवेदन है कि आप, जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत के प्रशासनिक सक्षम अधिकारी है, आप भी गैर निगराकार सख्या 02 के किये गये उक्त दुस्साहस को एवं अवैध कार्यों को मध्यनजर रखते हुऐ गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित करावे जिससे न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित होने के साथ–साथ गैर निगराकार संख्या 02 के जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यो एवं दायित्वों का विधि के तहत निवर्हन कर सके। उक्त वाद/अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कोटडी द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट भी विधिवत् प्रस्तुत हुई है जिसमें भी तथाकथित प ट्टे के भू–भाग की आराजीयात को रास्ते का भू–भाग दर्शाया गया है, इतना ही नहीं इस संबंध में एक अन्य प्रकरण जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश कोटडी में चला है, उसमें भी उक्त भू–भाग को रास्ते का ही भू–भाग दर्शाया गया है, इस प्रकार रास्ते के भू–भाग का पट्टा जारी करने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने भारी विधिक भूल की है। उक्त पत्रावली में जो शपथपत्र गजराज सिंह का दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, जबकि उससे पूर्व ही पट्टा जारी करने की तथाकथित आज्ञा पारित कर दी गयी, इस प्रकार मिलाभगती कर खानापूर्तिया की गयी है, वैसे भी पढ़ौसी के शपथपत्र के रूप में गोपाल कंवर, हनुमान सिंह आदि के शपथपत्र प्रस्तुत हुऐ है जिसमें से गोपाल कंवर गैर निग्राकार संख्या 01 की ही पत्नी है तथा हनुमान सिंह प्रार्थीया निगराकार से रंजिश रखता है। यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि गैर निगराकार संख्या 01 की पत्नी द्वारा जो पट्टा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही गैर निगराकार संख्या 02 के यहां पत्रावली संख्या 16/09.07. 2020 के द्वारा की गयी है, उसमें जो फोटो तथाकथित स्थल के लगे हुऐ है तथा इस पत्रावली में जो तथाकथित स्थल के फोटो लगे हुऐ है वो दोनों एक ही फोटो होकर एक ही स्थान के फोटो है। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा जी आपत्ति सूचना पत्र आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 05.12.2020 को जारी किया जाना बताया जाता है, जबकि उससे पूर्व ही दिनांक 05.11.2020 को ही पट्टा जारी करने की आज्ञा पारित कर दी जाती है जो गैर निगराकार संख्या 02 की मिलाभगती का द्योतक है दिनांक 05.12.2020 को जो आपत्ति पत्र जारी किया गया और उसमें जो हस्तलिपी में अंकन किया गया है वह काबिल गौर के है क्योंकि उक्त अंकन में जिला न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2020 के तहत दिनांक 15.12.2020 को मौका पर्चा ग्राम वासियो के समक्ष बनाया जाना बताया गया है और दिनांक 05.01.2021 को पट्टा जारी किया जाना दर्शाया है जो कदापि संभव नहीं है अर्थात् दिनांक 05.12.2020 के नोटिस पर उक्त अंकन कैसे एवं किस प्रकार किया जा सकता है यह कदापि संभव नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 की पत्नी गोपाल कंवर ने भी उक्त तथाकथित पट्टेसुदा भू–भाग से लगा हुआ भू–भाग का पट्टा प्राप्त करने हेतु गैर निगराकार संख्या 02 के यहां इसी प्रकार आपसी मिलाभगती एवं दुरर्भिसन्धि कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया जिसकी पत्रावली संख्या 16 दिनांक 09.07.2020 को कायम करते हुऐ दिनांक 05. 11.2020 को ही अर्थात् एक ही दिन दिनांक को दोनों पट्टे दोनो पति–पत्नी को जारी किये गये है जबकि गोपाल कंवर तो गजराज सिंह की पत्नी है तो फिर उसका पुश्तैनी मकान ग्राम मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपडा में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 व 02 ने विधि की व्यवस्थाओं के विपरित जाकर आपसी मिलानगती एवं दुरर्भिसन्धि कर तथाकथित पट्टे प्राप्त किये है जो प्रारंभ से ही अवैध, शून्य होकर काबिल निरस्तगी के है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं उसके तहत बने हुऐ नियमों की कोई किसी प्रकार से पालना ही नहीं की है तथा न धारा 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की मंशा को सही ढंग से न समझ अर्थात् उक्त प्रावधान के तहत पट्टा पुश्तैनी मकानी का जारी किया जाता है जबकि तथाकथित पट्टा जिसका जारी किया गया है वह मकान न होकर भूखण्ड के रूप में है, जो नजरी नक्शे से भी प्रमाणित है, इतना ही नहीं स्वयं गैर निगराकार संख्या 02 के वर्तमान सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने जिस स्थल का पट्टा दिया है, उस स्थल पर गैर निगराकार संख्या 01 का अवैध कब्जा मानते हुऐ हटाने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु संबंधित थानाधिकारी कोटडी के यहां दिनांक 19.05.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 को पूर्णतयाः जानकारी में है कि उक्त स्थल रास्ते का भू–भाग है फिर भी गैर निगराकार संख्या 02 ने अपनी स्वतंत्र स्वीकारोक्ति से परे जाकर तथाकथित पट्टा गलत, अवैध तरीके से जारी किया है जो काबिल अपास्तगी के है। यहा यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि जो फोटो ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न किये हुए थे, उन फोटो आदि की नकल निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 ग्राम पंचायत से प्राप्त की गयी, उसके उपरान्त न्यायालय आप में निगरानी प्रस्तुत हो जाने से उक्त पत्रावली पट्टे की तलब की गयी जिसमें जो फोटो आये हैं, उसमें अवैध तरीके से अंकन करते हुऐ उसमें **आवास निर्माण वर्ष 2006–2007 निर्मित मकान** अपने तही अंकित कर दिया जो पूर्व में प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियो से पूर्णतया सिद्ध हो रहा है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी अपनी आपराधिक प्रवृत्तियो से बाज नहीं आ रहे है और जानबुझकर गलत एवं मिथ्या कार्यवाहिया कर रहे है, जिसे किसी कदर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। यहा यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम आदेश दिनांक 05.04.2018 व इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2021 राजस्थान पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 से ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी पदस्थापित किया गया है अर्थात् इससे पूर्व ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम सेवक/सचिव के नाम से ही जाना जाता था इस हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न की जा रही है, किन्तु पत्रावली में उक्त संशोधन से पूर्व ही ग्राम विकास अधिकारी की पदीय हैसियत से कार्यवाही की गयी है जो अपने आप उक्त कार्यवाही अपनेतही मिलाभगती कर गलत एवं अवैध तरीके से पश्चात्वर्ती किये जाने का ही परिचायक है, इतना ही नहीं विधि के तहत नियम 161 पंचायत राज अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां किसी जायदाद को लेकर विवाद हो, वहां पर उसका जायदाद को किसी कदर विक्रय रहन आदि कर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है और निर्विवाद रूप से जिस विवादित स्थल का पट्टा दिया गया है, उसके संबंध में काफी वर्षों से रास्ते आदि के विवाद सक्षम न्यायालयो में लम्बित चले आ रहे है. जिसकी जानकारी होते हुऐ भी उक्त पट्टा जारी किया जाना सर्वथा गलत होकर अवैध था व है। अतः निगराकार निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 70 दिनाक 08.12.2004 में पारित आज्ञा दिनांक 05.11.2020 को अपास्त करते हुऐ इस संबंध में जारी किये गये पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या– 1 के प्रस्तुत जवाब अुनसार निगराकार द्वारा तथ्यों के विपरीत कतई बेबुनियाद व गलत निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत रीठ ने नियमानुसार पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही कर आवेदन, नक्शा मौका, आपत्ति आमंत्रित सूचना, मौका निरीक्षण, पडौसी के शपथपत्र एवं सहमति व अनापत्ति पत्र जारी कर नियमानुसार पट्टा जारी किया है एवं नियमानुसार पट्टे का रजिस्टर्ड डीड सम्पादित किया है। निगराकार धीरज कंवर का पति बहादुरसिंह राजपुत राजकीय सेवा में होकर पंचायत समिति कोटडी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर वर्षों से कार्यरत है। निगराकार के पति पंचायती राज में जुडा होने के कारण समय समय पर अपने पद का दुरुपयोग करता चला आया इस कारण से वर्षों तक गैर निगराकार एक गरीब बीपीएल परिवार को अपने मकान का पट्टा प्राप्त नहीं हो सका। वर्षो तक विभिन्न न्यायालय में मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा है। गैर निगराकार के नाम से इन्द्रा आवास योजना में वर्ष 2007 में आवास स्वीकृत हुआ और गैर निगराकार ने अपने कच्चे मकान के स्थान पर इन्द्रा आवास में पक्का मकान बनाया है। वर्षों से इसी स्थान पर निवास करता चला आ रहा है। आवास पर विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है, जिसके बिल पेश है, जो कि करीब 12 वर्षों से भी अधिक पुराने होकर गैर निगराकार गजराजसिंह के नाम से राशन कार्ड भी पेश है, जो आरोप लगाये है, वह गलत व बेबुनियाद है। नियमानुसार पत्रावली कायम होकर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के आदेशों की पालना में मौका देखकर पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली में माननीय जिला न्यायाधीश का आदेश अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2017 में जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के फैसले द्वारा ग्राम पंचायत को कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र किया तब जाकर पट्टा बनाया, इस कारण से वर्षों से पत्रावली में कार्यवाही रूकी रही। गैर निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही करने के बाद माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश भीलवाडा के प्रकरण सं० 41/2017 के निर्णय दिनांक 18–07–2020 की पालना में ग्राम पंचायत रीठ के द्वारा दिनांक 15–12–2020 को मौका पर्चा बनाकर मौका स्थिति के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार दिनांक 05–01–2021 को पट्टा सं० 8 बुक सं० 6 जारी किया वह पूर्ण रूप से सही है। जब विभिन्न न्यायालय में मामला चलते रहे एवं अन्त में जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के आदेश की पालना कर विधिवत ग्राम पंचायत रीठ ने पट्टा जारी किया है। मौका पर्चा भी सभी नियमों को विस्तार से जांच कर जिसमें गजराजसिंह के पूर्ण रूप से सही पाये जाने से पट्टा जारी हुआ है। इन्द्रा आवास के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मकान का पट्टा जारी करना ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है, केवल मात्र निगराकार धीरज कंवर के पति बहादुर सिंह सचिव के सरकारी पद पर होने से कार्यवाही प्रभावित रही है। निगराकार व गैर निगराकार गजराजसिंह एक ही परिवार के होकर आपस में रिश्तेदार है, परन्तु आपस में सामाजिक विवाद होने के कारण से आपसी रंजिश रखते है, इस कारण से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि मौके पर दोनों पक्ष शांतिपूर्वक अपने भूखण्ड पर काबिज होकर अपना अपना सम्पूर्ण जायदाद पर निर्माण कर रखा है। दिनांक 15—12—2020 के मौके पर्चे के अनुसार गैर निगराकार का किसी भी प्रकार से किसी रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं है। इस कलम में मुकदमें बाजी के दौरान एवं सक्षम न्यायालय में वाद लम्बित होने एवं वर्तमान में भी निगराकार द्वारा जो स्थायी निषेधाज्ञा का दावा सिविल न्यायाधीश, कोटडी में प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार दौराने मुकदमे बाजी में पारित किसी प्रकार के आदेश की इस निगरानी में कोई औचित्य नहीं है। पंचायत ने पंचायत नियमों के तहत साधिकार नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी कर नियमानुसार रजिस्टर्ड करवाया है, जिसको निगराकार को खारिज कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। गैर निगराकार का वर्षों से कच्चा मकान होकर पुश्तैनी मकान को गिराकर इन्द्रा आवास में नियमानुसार राज्य सरकार की नीति के अनुसार समस्त कार्यवाही की गई है। इस प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय श्रीमान् से यह भी निवेदन है कि न्याय एवं कानून की रक्षार्थ इस महत्वपूर्ण निगरानी प्रकरण में गैर निगराकार सं० 1 यह भी निवेदन करता है कि माननीय न्यायालय स्वयं मौके का निरीक्षण फरमा इस प्रकरण में न्यायोचित आदेश पारित कर निगराकार की निगरानी खारिज फरमायी जाये ताकि एक बीपीएल परिवार को न्याय प्राप्त हो सके। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी गलत, विधि विरूद्ध, निराधार एवं मौके से विपरीत होकर खारिज किए जाने योग्य होने से सव्यय खारिज फरमायी जावें।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि, सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2020 अनुसार गैर निगराकार गजराज सिंह पुत्र छगन सिंह को अतिक्रमी घोषित करते हुए ग्राम पंचायत को विधिनुसार अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया साथ ही पंचायत समिति कोटडी द्वारा भी सरंपच, ग्राम पंचायत रीठ को दिनांक 12.10.2018 से गैर निगराकार सं0 1 को अतिक्रमी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर मौके पर रास्ता खुलासा हेतु एवं भविष्य में दौबारा अतिक्रमण ना करें हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत रीठ, पंचायत समिति कोटडी के इंतजामी पत्रावली सं0 01/2019 फैसल दिनांक 20.09.2019 द्वारा गैर निगराकार सं0 1 को अतिक्रमी मानते हुए रास्ता खुलासा करने हेतु आदेश जारी किया गया। ग्राम पंचायत रीठ द्वारा रास्ते की भूमि पर जारी किया प्रश्नगत पट्टा पंचायतीराज अधिनियम में विहित नियमों के विपरीत जारी किया गया है एवं हस्ताक्षरकर्ता सरंपच भी उक्त अवधि के दौरान सरपंच के पद पर कार्यरत नहीं था, जिसकी पुष्टी पंचायत समिति कोटडी द्वारा दिनांक 11.10.2022 को की गयी। इस प्रकार के विधि विरूद्ध तरीके से जारी पट्टे प्रारम्भ से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य है।

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत रीठ द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 08 दिनांक 05.01.2021 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

कार्यालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 05.01.2021 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत रीठ, पंचायत समिति कोटडी, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.5.26

(रणजीत सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा